न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री मंगलाराम पूनिया, आर.ए.एस.

Jodhpur 2022-1 (GCMS2022-1) RTA223Bagaram etc Vs LRs of Banshisingh n ors

1. बागाराम पुत्र हरीराम
2. पुरखाराम पुत्र हरीराम
3. केसाराम पुत्र हरीराम
4. बालाराम पुत्र हरीराम
5. केवलराम पुत्र रामाराम के कायममुकामान-
   - 5.1. आसाराम पुत्र केवलराम
   - 5.2. जगमाल पुत्र केवलराम
   - 5.3. पोलाराम पुत्र केवलराम
   - 5.4. मदनराम पुत्र केवलराम के कायममुकामान-
     - 5.4.1. देवी पत्नी मदनराम उर्फ मदनलाल
     - 5.4.2. गीता पुत्री मदनराम उर्फ मदनलाल
     - 5.4.3. मीमा पुत्री मदनराम उर्फ मदनलाल
     - 5.4.4. जितेन्द्र पुत्र मदनराम उर्फ मदनलाल

       अपीलाण्ट संख्या 5.4.2 से 5.4.4 नाबालिगान जरिये कुदरती वलिया माता देवी पत्नी मदनराम उर्फ मदनलाल)
   - 5.5. मुथरादेवी पत्नी देवाराम पुत्री केवलराम

सभी जाति पटेल, निवासीगण ग्राम नारनाडी, तहसील लूणी, जिला जोधपुर

अपीलाण्ट्स...

ब

ना

म

1. बंशीसिंह पुत्र तुलसीसिंह के कायममुकामान-
   - 1.1. नरपतसिंह पुत्र बंशीसिंह
   - 1.2. नरेन्द्रसिंह पुत्र बंशीसिंह
   - 1.3. विक्रमसिंह पुत्र बंशीसिंह
   - 1.4. गोपीदेवी पत्नी बंशीसिंह

   सभी जाति राजपुरोहित, निवासीगण ग्राम नारनाडी तहसील लूणी, जिला जोधपुर (राज.)
   - 1.5. गुड्डी कंवर पत्नी हनुमन्तसिंह पुत्री बंशीसिंह जाति राजपुरोहित, निवासी हडमान हत्था बीकानेर (राज.)
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लूणी जिला जोधपुर

रेस्पो. ...

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिकी सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी दिनांक 07 अप्रेल 2021 राजस्व वाद संख्या 29/2019 बंशीसिंह के कायममुकामान बनाम बागाराम इत्यादि

उपस्थित-

श्री हनुमान प्रजापति, अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या 2
अन्य रेस्पो. बावजूद सूचना अनुपस्थित

नि र्ण य

दिनांक : 31 जनवरी, 2023

अपीलाण्ट्स ने न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी द्वारा राजस्व वाद संख्या 29/2019 बंशीसिंह के कायममुकामान बनाम बागाराम इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिकी दिनांक 07 अप्रेल 2021 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत दिनांक 28 दिसम्बर 2021 को प्रस्तुत की है। अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा किये जाने बाबत अपीलाण्ट्स की ओर से शपथपत्र सहित एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय समय सीमा अधिनियम प्रस्तुत किया गया है।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय के समक्ष वादी-रेस्पो. बंशीसिंह के कायममुकामान द्वारा एक राजस्व वाद आराजी खसरा संख्या 412 रकबा 60 बीघा 07 बिस्वा, खसरा संख्या 413 रकबा 23 बीघा 07 बिस्वा एवं खसरा संख्या 420 रकबा 63 बीघा 19 बिस्वा कुल रकबा 147 बीघा 13 बिस्वा वाके मौजा नारनाडी के संबंध में घोषणा खातेदारी, बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा पेश उक्त आराजियात में अपना ½ हिस्सा जाहिर करते

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

हुए तदनुसार अनुतोष प्रदान किये जाने का निवेदन किया जो विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 07 अप्रेल 2021 को स्वीकार किया जाकर प्राथमिक डिक्री जारी की गयी। जिसके खिलाफ अपीलाण्ट्स द्वारा आलौच्य अपील पेश की गयी है।

बहस सुनी गयी। अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने जाहिर किया कि विचारण न्यायालय में प्रतिवादीगण-अपीलण्ट्स को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का कोई अवसर ही प्रदान नहीं किया गया और प्रतिवादीगण-अपीलाण्ट्स की तलबी हेतु जारी सम्मनों की विधिवत तामील हुए बिना ही इकतरफा कार्यवाही अमल में लाते हुए अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित कर दिये गये। अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने जाहिर किया कि विचारण न्यायालय द्वारा जारी सभी प्रतिवादीगण-अपीलाण्ट्स के सम्मन संबंधित आसामी की बजाय किसी पूनाराम को दिया जाने की रिपोर्ट तामीलकुनिन्दा द्वारा सम्मनों की पुश्त पर की गयी है। उक्त पूनाराम कौन है, संबंधित आसामी से उसका क्या संबंध है, वह बालिग है अथवा नाबालिग आदि कुछ भी अंकित नहीं किया गया है और न ही उक्त पूनाराम का कोई पता इत्यादि अंकित किया गया है। इस प्रकार जाहिर है कि इन सम्मनों की तामील सीपीसी के प्रावधानों के अनुरूप सम्यक एवं समुचित तामील नहीं हुई है। इसके उपरान्त भी विचारण न्यायालय द्वारा तामील पर्याप्त मानते हुए अपीलाण्ट्स के खिलाफ इकतरफा कार्यवाही अमल में लायी जाकर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित किये गये है जो प्राकृतिक न्याय के मूलभूत सिद्धान्तों के अनुरूप नहीं है। अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने यह भी कथन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा न तो मामले में तनकियात कायम की गयी और

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

न ही वादी-रेस्पो. द्वारा अपने वाद को समुचित साक्ष्य सबूत के आधार पर साबित किया गया है। वादग्रस्त आराजियात के संबंध में पूर्व में एक राजस्व वाद अपीलाण्ट-प्रतिवादी केवलराम द्वारा न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, जोधपुर के समक्ष बंशीसिंह के खिलाफ पेश किया गया था। जो राजस्व वाद संख्या 97/2002 केवलराम के कायममुकामान बनाम बंशीसिंह इत्यादि विचाराधीन है। ऐसी स्थिति में वर्तमान वाद विधि द्वारा बाधित होने के कारण भी अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री खारिज किये जाने योग्य है। अंत में अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर वांछित अनुतोष प्रदान किये जाने का निवेदन किया।

रेस्पो. संख्या दो की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप न्यायोचित निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया। सम्मनों की पर्याप्त तामील के बावजूद भी अन्य रेस्पो. की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। जिससे पाया जाता है कि विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 15 मई 2019 को दावा संस्थित किया जाकर प्रतिवादीगण-अपीलाण्ट्स की तलबी हेतु पेशी दिनांक 17 जून 2019 के लिए सम्मन दिनांक 27 मई 2019 को जारी किये गये। जिनकी पुश्त पर संबंधित आसामी की बजाय किसी पूनाराम को सम्मन दिया जाने की रिपोर्ट तामीलकुनिन्दा द्वारा की गयी है। सम्मनों की पुश्त पर किसी पूनाराम के हस्ताक्षर किये हुए है व दो अन्य व्यक्तियों आसाराम व पोलाराम के नाम लिखे हुए है। मगर उक्त पूनाराम कौन है, संबंधित आसामी से उसका क्या संबंध है, वह बालिग है अथवा नाबालिग, आदि कुछ भी अंकित

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

नहीं किया गया है और न ही उक्त पूनाराम का कोई पता इत्यादि अंकित किया गया है। अन्य जिन व्यक्तियों - आसाराम व पोलाराम के नाम सम्मनों की पुश्त पर अंकित है, उनका भी समुचित विवरण एवं पता आदि नहीं लिखा गया है। संबंधित आसामी के अलावा अन्य किसी पर सम्मन की तामील के संबंध में सीपीसी के आदेश 5 नियम 14, 15, 16 एवं 18 में निम्नलिखित प्रावधान किये गये है -

Order 5 Rule 14. Service on agent in charge in suits for immovable property - Where in a suit to obtain relief respecting, or compensation for wrong to, immovable property, service cannot be made on the defendant in person, and the defendant has no agent empowered to accept the service, it may be made on any agent of the defendant in charge of the property.

Order 5 Rule 15. Where service may be on male member of defendant's family.- When the defendant cannot for any reason be personally served and has no agent empowered to accept service of the summons on his behalf, service may be made on any adult male member of the family of the defendant who is residing with him.

Explanation.-A servant is not a member of the family within the meaning of this rule." (w.e.f. 1-10-1983)

Order 5 Rule 16. Person served to sign acknowledgement - Where the serving officer delivers or tenders a copy of the summons to the defendant personally, or to an agent or other person on his behalf, he shall require the signature of the person to whom the copy is so delivered or tendered to an acknowledgement of service endorsed on the original summons.

Order 5 Rule18. Endorsement of time and manner of service: The serving officer shall, in all cases in which the summons has been served under rule 16, endorse or annex, or cause to be endorsed or annexed, on or to the original summons, a return stating the time when and the manner in which the summons was served, and the name and address of

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

the person (if any) identifying the person served and witnessing the delivery or tender of the summons.

जाहिर है कि आलौच्य मामले में विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वाद में अपीलाण्ट्स के खिलाफ सम्मनों की सीपीसी के प्रावधानों के अनुरूप समुचित एवं सम्यक तामील नहीं हुई है। जिससे अपीलाण्ट्स विचारण न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं कर पाये। इस प्रकार विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी नैसर्गिक न्याय के मूलभूत सिद्धान्तों के अनुरूप नहीं होने से समर्थन किये जाने योग्य नहीं पाया जाता है।

इसके अलावा अपील स्तर पर अपीलाण्ट्स द्वारा है। वादग्रस्त आराजियात के संबंध में पूर्व में एक राजस्व वाद अपीलाण्ट-प्रतिवादी केवलराम द्वारा न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, जोधपुर के समक्ष बंशीसिंह के खिलाफ पेश किया गया था। जो राजस्व वाद संख्या 97/2002 केवलराम के कायममुकामान बनाम बंशीसिंह इत्यादि विचाराधीन होना जाहिर करते हुए वर्तमान वाद विधि द्वारा बाधित होना बताया गया है। चूंकि कोई प्रकरण विधि द्वारा बाधित है अथवा नहीं, यह विधि एवं तथ्यों का सम्मिलित प्रश्न है, अतः इस संबंध में अदालत हाजा की राय में नियमानुसार विधिक तनकी कायम की जाकर पक्षकारान की साक्ष्य सुनवाई के बाद निष्कर्ष पारित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

जहॉ तक अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब का प्रश्न है, चूंकि विचारण न्यायालय में अपीलाण्ट्स के खिलाफ सम्मनों की समुचित तामील के अभाव में वाद की कार्यवाही एवं पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी बाबत अपीलाण्ट्स को समुचित समय में जानकारी नहीं होना स्वभाविक है। अतः मियाद प्रार्थनापत्र में वर्णित बिन्दुओं

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

एवं मियाद के संबंध में अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स की बहस पर विश्वास करते हुए अपील अन्दर मियादशुमार की जाती है।

. उपरोक्त समस्त विवेचन के आलोक में अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 07 अप्रेल 2021 बहाल रखे जाने योग्य नहीं पाये जाने से तदनुसार अपास्त किये जाते है और अपील अपीलाण्ट्स आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर प्रकरण विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि प्रतिवादीगण-अपीलाण्ट्स को अपना पक्ष एवं जबाब प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया जावे और वर्तमान वाद विधि द्वारा बाधित होने संबंधित विधिक तनकी कायम की जाकर नियमानुसार विधिवत कार्यवाही करते हुए सर्वप्रथम विधिक तनकी का निस्तारण किया जावे और तदनुसार मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में आवश्कतानुसार अन्य तनकियात कायम की जाकर पक्षकारान की साक्ष्य सुनवाई के बाद समुचित विवेचन एवं विश्लेषण सहित तनकीवार निष्कर्ष पारित करते हुए मूल वाद का निस्तारण किया जावे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

31.01.2023

(मंगलाराम पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर